RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अगस्त
11
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

साइबरस्पेस संचालन और उभयचर संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत / Joint Doctrines for Cyberspace Operations & Amphibious Operations

संदर्भ:

नई दिल्ली में आयोजित चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने साइबरस्पेस ऑपरेशंस और एम्फीबियस ऑपरेशंस के संयुक्त सिद्धांतों (जॉइंट डॉक्ट्रिन्स) के डिक्लासीफाइड संस्करणों को औपचारिक रूप से जारी किया।

साइबरस्पेस (Cyberspace):

एक वैश्विक क्षेत्र है जिसमें इंटरनेट, इंट्रानेट, संचार उपग्रह, नियंत्रण प्रणाली और अन्य आपस में जुड़े हुए सूचना तंत्र व डेटा संरचनाएं शामिल होती हैं। यह एक ऐसा ऑपरेशनल वातावरण है जहाँ जानकारी बनाई, साझा, बदली और संग्रहित की जाती है।

मुख्य विशेषताएं:

- **सीमाहीन क्षेत्र:** भौतिक सीमाओं से परे काम करता है।
- **दोहरा उपयोग:** नागरिक और सैन्य, दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी।
- **तत्काल प्रभाव:** कार्यवाही का वैश्विक असर तुरंत हो सकता है।
- **गुमनामी व पहचान की चुनौती:** किसी हमले के पीछे के असली कारकों का पता लगाना कठिन।
- **लगातार बदलते खतरे:** तकनीक के साथ खतरे भी विकसित होते रहते हैं।

समुद्र-स्थल संयुक्त अभियान:

वे समन्वित सैन्य कार्रवाई हैं जो समुद्र से नौसेना, वायुसेना और थल सेना के संयुक्त बल से तट पर किसी मिशन को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ये युद्ध, मानवीय सहायता, आपदा राहत (HADR) और विवादित क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रयोग होती हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- **त्रि-सेवा समन्वय:** नौसेना, वायुसेना और थल सेना का एकीकृत संचालन।
- **त्वरित प्रतिक्रिया:** समुद्र से तट तक तेज़ी से तैनाती।
- **लचीले मिशन:** युद्ध से लेकर HADR तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए।
- **रणनीतिक पहुँच:** द्वीप और तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण की क्षमता।
- **समुद्र-भूमि संपर्क:** समुद्री क्षमताओं को जमीनी लक्ष्यों से जोड़ना।

Cyberspace Operations के घटक:

- **Defensive Cyber Operations:** हैकिंग, मैलवेयर, डेटा चोरी से नेटवर्क की रक्षा।
- **Offensive Cyber Operations:** दुश्मन के नेटवर्क में घुसपैठ कर संचार और संरचना को बाधित करना।
- **Cyber Intelligence & Reconnaissance:** खतरों की पहचान और आकलन के लिए डाटा संग्रह और विश्लेषण।
- **Cyber Support Operations:** अन्य सैन्य अभियानों को तकनीकी सहयोग व उपकरण देना।
- **Resilience & Recovery Systems:** बैकअप और सिस्टम बहाली की व्यवस्था।

परिचालन सिद्धांत (Operational Principles):

- **Threat-informed Planning:** ताज़ा खुफिया जानकारी के आधार पर रणनीति।
- **Interoperability:** सैन्य व नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय।
- **Layered Defence:** सुरक्षा की बहु-स्तरीय व्यवस्था।
- **Legal & Ethical Compliance:** घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन।
- **Real-time Response:** साइबर घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई।

महत्व:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** महत्वपूर्ण ढांचों को सुरक्षित रखना।
- **Force Multiplier:** पारंपरिक युद्ध में साइबर क्षमताओं से बढ़त।
- **Maritime Superiority:** तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण।
- **Jointness:** तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल।
- **Hybrid Warfare तैयारी:** साइबर हमले, समुद्री नियंत्रण और भूमि युद्ध से निपटना।
- **कूटनीतिक संदेश:** बहु-क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने की क्षमता का प्रदर्शन।

सरकार ने MERITE योजना को मंजूरी दी / Government approves MERITE Scheme

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹4,200 करोड़ की एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित कुल 275 तकनीकी संस्थानों में गुणवत्ता, समानता और सुशासन में सुधार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर के तकनीकी संस्थानों में लागू किए जाने के लिए **मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन (MERITE) योजना** को मंजूरी दे दी है।

MERITE Scheme (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education)

उद्देश्य:

- तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और प्रशासनिक क्षमता में सुधार।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा का सशक्तिकरण।

अवधि व वित्तीय प्रावधान:

- अवधि: 2025-26 से 2029-30
- कुल बजट: ₹4,200 करोड़
    - जिसमें ₹2,100 करोड़ विश्व बैंक से ऋण के रूप में।
- प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।

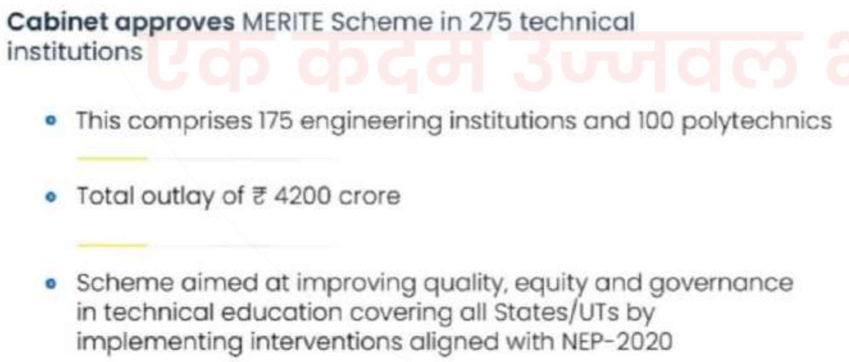

लाभार्थी:

- लगभग 7.5 लाख छात्र।
- तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संस्थागत क्षमता में वृद्धि।

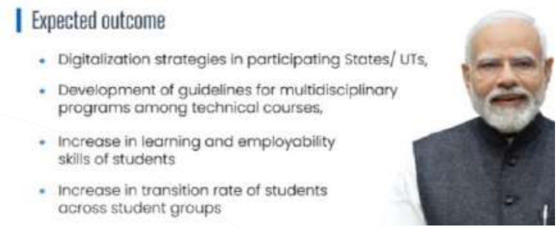

सहयोगी संस्थान:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)
- भारतीय प्रबंध संस्थान (IIMs)
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)

मुख्य विशेषताएं:

- **संस्थागत कवरेज:** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय।
- **फंड ट्रांसफर:** केंद्रीय नोडल एजेंसी से सीधे संस्थानों को धनराशि।
- **शैक्षणिक फोकस:** बहु-विषयक कार्यक्रम, अद्यतन पाठ्यक्रम, फैकल्टी प्रशिक्षण।
- **लैंगिक समावेशन:** महिला फैकल्टी के लिए विशेष कार्यक्रम और लैंगिक असमानता में कमी।
- **कौशल संरेखण:** श्रम बाजार उन्मुख पाठ्यक्रम और मिश्रित शिक्षण मॉडल

पीएम ई-ड्राइव योजना / PM E-Drive Scheme

संदर्भ:
सितंबर 2024 में शुरू की गई **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना** की अवधि दो से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है, जो अब 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। यह विस्तार ई-ट्रक, ई-बस और टेस्टिंग एजेंसियों के लिए है, जबकि छोटे ईवी वर्गों के लिए समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

शुरुआत: 1 अक्टूबर 2024

कैबिनेट अनुमोदन: 29 सितंबर 2024

बजटीय प्रावधान: ₹10,900 करोड़ (फंड-लिमिटेड), वैधता 31 मार्च 2028 तक (मूल रूप से 31 मार्च 2026 तक)।

क्रियान्वयन एजेंसी: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)

- **CESL (Convergence Energy Services Limited):** इलेक्ट्रिक बस खरीद के लिए एग्रीगेटर।
- समन्वय: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), और विद्युत मंत्रालय (MoP)।

मुख्य उद्देश्य:
- विभिन्न सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाना।
- शहरी क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत Phased Manufacturing Programme (PMP) के जरिए घरेलू EV विनिर्माण को सशक्त करना।
- इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर वायु गुणवत्ता में सुधार और परिवहन से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाना।

पात्रता: केवल उन्नत बैटरी वाले EVs पर लागू।

पीएम ई-ड्राइव योजना का महत्व-
- **ईवी अपनाने में तेजी** – आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की ओर तेज़ बदलाव को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी** – भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य और पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) प्रतिबद्धताओं को समर्थन देती है।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** – मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ईवी, बैटरी और संबंधित घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- **नवाचार को समर्थन** – बैटरी तकनीक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करती है।
- **रोज़गार सृजन** – ईवी निर्माण, रखरखाव, बैटरी रीसाइक्लिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर खोलती है।
- **उपभोक्ताओं के लिए कम परिचालन लागत** – सब्सिडी और लागत में कमी के उपाय लंबे समय में ईवी को अधिक किफायती बनाते हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा** – नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देकर तेल आयात बिल में कमी लाती है।
- **शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार** – वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, जो शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है।

आर्मेनिया और अज़रबैजान शांति समझौता / Armenia and Azerbaijan peace agreement

संदर्भ:

नागोर्नो-काराबाख पर लगभग चार दशकों के संघर्ष के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान एक शांति संधि पर सहमत हो गए हैं

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता के बाद **आर्मेनिया और अजरबैजा**न के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म कराने के लिए समझौता हुआ।
- अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने ट्रम्प की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

Nagorno-Karabakh संघर्ष:

नागोर्नो-कराबाख संघर्ष आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक लम्बे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय और जातीय विवाद है। यह दक्षिण कॉकसस का एक स्थल-रुद्ध (landlocked) पहाड़ी क्षेत्र है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहां की अधिकांश आबादी जातीय आर्मेनियाई है, जो आत्म-शासन की मांग करती रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

सोवियत काल (1920–1988)

- **1921** – सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने "बांटो और राज करो" नीति के तहत, आर्मेनियाई बहुल आबादी होने के बावजूद नागोर्नो-काराबाख को अज़रबैजान के अधीन रखा।
- सोवियत शासन के दौरान जातीय तनाव दबे रहे, लेकिन असंतोष बना रहा।

पहला नागोर्नो-कराबाख युद्ध (1988–1994)

- **1988** – सोवियत संघ के कमजोर होने पर, नागोर्नो-कराबाख के जातीय आर्मेनियनों ने आर्मेनिया के साथ विलय की मांग की।
- **1991** – सोवियत संघ के विघटन के बाद, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया।
- **1994** – रूस की मध्यस्थता में बिश्केक प्रोटोकॉल के तहत युद्धविराम हुआ।
- **परिणाम** – आर्मेनिया ने नागोर्नो-कराबाख और आसपास के सात अज़रबैजानी जिलों पर क जा कर लिया। 30,000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 10 लाख लोग (अधिकतर अज़रबैजानी) विस्थापित हुए।

युद्धविराम काल (1994–2020)

- 1994 के युद्धविराम के बावजूद, सीमावर्ती झड़पें जारी रहीं।
- रूस, अमेरिका और फ्रांस की अध्यक्षता वाले ओएससीई मिन्स्क समूह के प्रयास स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सके।

दूसरा नागोर्नो-कराबाख युद्ध (2020)

- **सितंबर 2020** – अज़रबैजान ने खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया।
- तुर्की ने अज़रबैजान को ड्रोन, हथियार और सैन्य सलाहकार देकर समर्थन दिया।
- **नवंबर 2020** – छह सप्ताह की लड़ाई के बाद, अज़रबैजान ने अधिकांश खोए हुए इलाके, जिसमें रणनीतिक शहर शुशा भी शामिल था, वापस ले लिए।
- रूस ने युद्धविराम कराया और नागोर्नो-कराबाख में 1,960 शांति सैनिक तैनात किए।
- **परिणाम** – अज़रबैजान ने सात जिलों और नागोर्नो-कराबाख के हिस्सों पर क जा कर लिया। आर्मेनिया में राजनीतिक संकट और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

2023 अज़रबैजानी अभियान और आर्मेनियाई वापसी

- **सितंबर 2023** – अज़रबैजान ने अंतिम सैन्य कार्रवाई कर नागोर्नो-कराबाख पर पूर्ण क जा कर लिया।
- 1 लाख से अधिक आर्मेनियाई वहां से भाग गए, जिससे आर्मेनिया के दावे समाप्त हो गए।
- आत्म-घोषित आर्टसाख गणराज्य (नागोर्नो-कराबाख की आर्मेनियाई प्रशासन) ने खुद को भंग कर दिया।

विश्व व्यापार संगठन / WTO

संदर्भ:

ब्राज़ील ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्राज़ीलियाई आयात पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में औपचारिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में:

विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में देशों के बीच **नियम-आधारित व्यापार** (Rules-based Trading) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

यह एक वैश्विक सदस्यता वाला समूह है, जो **मुक्त व्यापार** (Free Trade) को प्रोत्साहित और प्रबंधित करता है।

इसका मुख्य कार्य:

- सरकारों को **व्यापार समझौतों** पर बातचीत करने का मंच प्रदान करना।
- देशों के बीच **व्यापार विवादों का समाधान** करना।
- दुनिया भर के **उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं, निर्यातकों और आयातकों** को अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमता से करने में मदद करना।

वर्तमान में WTO में:

- **164 सदस्य देश** (यूरोपीय संघ सहित)
- **23 पर्यवेक्षक देश** (जैसे इराक, ईरान, भूटान, लीबिया आदि) शामिल हैं।

देवदासी पुनर्वास विधेयक / Devadasi Rehabilitation Bill

संदर्भ:

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने **कर्नाटक देवदासी (रोकथाम, निषेध, राहत और पुनर्वास) विधेयक, 2025** को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देवदासी प्रथा के खिलाफ प्रयासों को और मजबूत करना है।

देवदासी पुनर्वास विधेयक:

यह विधेयक 1982 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा और देवदासियों तथा उनके बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिए कई प्रावधान शामिल करेगा, जैसे –

- आधिकारिक दस्तावेज़ों में **पिता का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करने की शर्त को हटाना**।
- **डीएनए-आधारित पहचान** की अनुमति देना।

यह केवल प्रतिबंध पर ही नहीं, बल्कि देवदासियों को **राहत और पुनर्वास** प्रदान करने पर भी ध्यान देता है, जिससे वर्षों से चल रही **समावेशी कानून** की मांग को पूरा किया जा सके।

देवदासी प्रथा:

- यह एक प्राचीन परंपरा है, जिसकी शुरुआत **चोल, चेर और पांड्य** वंशों के समय से मानी जाती है।
- इसमें निचली जाति की युवा लड़कियों को मंदिर की देवता के नाम पर **समर्पित** किया जाता था।
- इन्हें "भगवान की सेविका" कहा जाता था, लेकिन वास्तव में कई बार ये मंदिर के संरक्षकों और प्रभावशाली पुरुषों को **यौन सेवाएं** देने पर मजबूर हो जाती थीं।
- यह प्रथा आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से पाई जाती है, जैसे –
    - **नटिस** (असम)
    - **महारी** (केरल)
    - **बसवी/जोगती** (कर्नाटक)
    - **जोगिन** (आंध्र प्रदेश)
    - **आराधिनी** (महाराष्ट्र)

रुद्रास्त्र / Rudrastra

संदर्भ:

भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी **'रुद्रास्त्र'** का सफल परीक्षण रन कर एक नया मील का पत्थर हासिल किया है।

रुद्रास्त्र के बारे में:

- **परिचय** – यह भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसमें छह **BOXN** रेक को जोड़कर एक साथ भारी मात्रा में सामान ढोने की क्षमता है।
- **BOXN रेक** – इसका अर्थ है *Bogies Open High Sided with Air Brakes (N – Improved Design)*। ये ब्रॉड-गेज खुले वैगन होते हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और अन्य खनिज जैसे थोक सामान ढोने में होता है।

मुख्य विशेषताएं –

- **लंबाई** – लगभग 4.5 किलोमीटर
- **संरचना** – 7 लोकोमोटिव, 354 वैगन, 6 खाली BOXN रेक को जोड़कर
- **दूरी** – 200 किमी
- **समय** – 5 घंटे में, औसत गति 40 किमी/घंटा
- **मार्ग** – गंजख्वाजा (उत्तर प्रदेश) से सोननगर (झारखंड) तक समर्पित माल गलियारे (DFC) और फिर भारतीय रेलवे की सामान्य पटरियों पर
- **उद्देश्य** – कोयला और अन्य थोक वस्तुओं का कुशल परिवहन

महत्व –

- भारतीय रेलवे की **भारी-ढुलाई क्षमता** और विभागीय समन्वय का प्रदर्शन।
- **तेज और बड़े पैमाने पर माल परिवहन** की दिशा में एक कदम, जिससे पटरियों पर अधिक ट्रेनों के लिए जगह बनेगी और जाम कम होगा।
- छह रेक को अलग-अलग चलाने की बजाय एक साथ चलाने से **समय, श्रम और परिचालन लागत** में बचत।
- **माल ढुलाई क्षमता और ट्रैक उपयोग** में सुधार।
- भारत की **लॉजिस्टिक दक्षता** और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना / PMUY

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)** के तहत लक्षित एलपीजी सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹12,000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में:

- **परिचय** – यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत मई 2016 में हुई थी।
- **उद्देश्य** – गरीब परिवारों की महिलाओं को **मुफ्त एलपीजी कनेक्शन** उपलब्ध कराना, ताकि स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़े और घर के अंदर धुएँ से होने वाले प्रदूषण में कमी आए।

पात्रता –

- वयस्क महिला, जिसके घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन न हो, और जो निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आती हो:
  - सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) 2011 में चिन्हित गरीब परिवार
  - एससी/एसटी परिवार
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थी
  - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार
  - वनवासी, अत्यंत पिछड़े वर्ग (MBC)
  - चाय एवं पूर्व-चाय बागान जनजाति
  - नदी द्वीप निवासी
- अगर उपरोक्त सूची में नाम नहीं है, तो **14-बिंदु का स्वयं-घोषणा पत्र** देकर गरीब होने का प्रमाण देकर आवेदन कर सकती हैं।
- **पुरुष सदस्य** इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
~~₹6000/-~~
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
Baaten Bazaar ki
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

BBK

EMI AVAILABLE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- » Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- » Sectoral Investing
- » Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY 1 YEAR